Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 21-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018 (MAGHA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 08 फरवरी, 2018

संख्या 1/48–2001 महा0–6 (1).–हरियाणा सम्बद्ध अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को कार्य नियमों 1977 के नियम–15 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, "पं0 दीनदयाल उपाध्याय मानदेय स्कीम" दिनांक 01.04.2017 से लागू करते हैं जो दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 के दौरान शिक्षक/गैर शिक्षक वर्ग से सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों पर निम्नलिखित दर/नियम तथा शर्तों के आधार पर लागू होगी:–

क्रमांक न0	श्रेणी	मानदेय राशि प्रति मास
1	प्राचार्य	30,000/-रुपये
2	प्राध्यापक	25,000/-रुपये
3	नॉन टीचिंग तृतीय श्रेणी	11,000/-रुपये
4	नॉन टीचिंग चतुर्थ श्रेणी	6,000/-रुपये

1. जो कर्मचारी अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत हुये हैं तथा दिनांक 01.04.2017 को जीवित हैं उन्हें ही प्राप्त बजट में वर्ष 2017–18 के प्रावधान के अन्तर्गत मानदेय की राशि प्रदान की जायेगी।

2. जो अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत/अनुदान प्राप्त पदों के विरुद्ध कार्य करते हुये सेवानिवृत हुये हैं उन्हें यह लाभ प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 10 वर्ष की योग्य सेवा स्वीकृत/अनुदान प्राप्त पदों के विरुद्ध की है उन्हें यह लाभ प्रदान किया जायेगा।

4. सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को किन्हीं भी परिस्थितियों में उक्त लाभ के लिये योग्य नहीं माना जायेगा ।

5. सेवानिवृत कर्मचारी केवल निर्धारित मानदेय की राशि का हकदार होगा जो उसे एकमुश्त अथवा मासिक तौर पर प्रदान की जायेगी तथा इस राशि पर मंहगाई भत्ता व अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया है वह मानदेय के हकदार नहीं होंगे।

7. मुख्यालय स्तर पर पैंशन योजना के अन्तर्गत मानदेय की राशि ड्राईंग एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर निकाली जायेगी तथा सम्बन्धित संस्था के माध्यम से सेवानिवृत कर्मचारी को रिलीज की जायेगी। सम्बन्धित संस्था द्वारा मासिक आधार पर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

8. मानदेय की राशि का भुगतान सेवानिवृत कर्मचारी के जीवित रहने तक किया जायेगा। मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को कानूनी हकदार को यह राशि देय नहीं होगी।

9. मानदेय राशि का भुगतान उन्हीं सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदान किया जायेगा जो किसी अन्य स्त्रोत/सेवा निवृत पैंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि यह पाया गया कि मानदेय प्राप्तकर्ता किसी अन्य प्रकार का लाभ पैंशन के रूप में प्राप्त कर रहा है तो यह राशि तुरन्त प्रभाव से रोक दी जायेगी तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि जुर्माना सहित नियमानुसार वसूल की जायेगी।

10. यह नीति दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगी तथा अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार मानदेय राशि प्रदान की जायेगी।

11. जो कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया है वह भी मानदेय का पात्र होगा, बशर्ते कि उस द्वारा अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण की हो।

यह राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वहन होगी:—

"The amount shall be charged/debitable to the major Head "The charges will debitable to the Head "2202-General Education-03-University Higher Education-104- Assistance to Non-Govt. Colleges & Institutes-98-Introduction of Pension Scheme for non Govt. Aided Colleges -09-Grant in Aid (Recurring) 2017-2018".

विभाग के स्तर पर जारी किये गये आदेश क्रमांक के0डब्ल्यू01/48-2001 महा0–6 (1) दिनांक 28.07.2017 को रद्द समझा जाये।

वित्त विभाग की सहमति उनके पत्र यू0ओ0 60/25/2017-2 F.D.-II/128828 दिनांक 30.05.2017 यू0ओ0 नं0. 20712-2 FD-II/2017 दिनांक 04.07.2017 के अन्तर्गत प्राप्त की गई है ।

ज्योति अरोरा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 8th February, 2018

No. 1/48-2001 CVI (1).— The Governor of Haryana is pleased for implementation of the Scheme may be called "Pt.Deen Dayal Upadhyaya Honorarium Scheme" for the teaching/non-teaching employees w.e.f 01.04.2017 of the Govt. Aided Colleges retired between 01.01.1988 to 10.05.1998 with the following rates, terms and conditions:-

Sr. No.	Category	Honorarium Rate P.M.
1	Principal	Rs. 30,000/-
2	Lecturers	Rs. 25,000/-
3	Non-Teaching Staff (Class III)	Rs. 11,000/-
4	Non-Teaching Staff (Class IV)	Rs. 6,000/-

6. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया है वह मानदेय के हकदार नहीं होंगे।

7. मुख्यालय स्तर पर पैंशन योजना के अन्तर्गत मानदेय की राशि ड्राईंग एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर निकाली जायेगी तथा सम्बन्धित संस्था के माध्यम से सेवानिवृत कर्मचारी को रिलीज की जायेगी। सम्बन्धित संस्था द्वारा मासिक आधार पर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

8. मानदेय की राशि का भुगतान सेवानिवृत कर्मचारी के जीवित रहने तक किया जायेगा। मृत्यु उपरान्त उसके आश्रित को कानूनी हकदार को यह राशि देय नहीं होगी।

9. मानदेय राशि का भुगतान उन्हीं सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदान किया जायेगा जो किसी अन्य स्त्रोत/सेवा निवृत पैंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि यह पाया गया कि मानदेय प्राप्तकर्ता किसी अन्य प्रकार का लाभ पैंशन के रूप में प्राप्त कर रहा है तो यह राशि तुरन्त प्रभाव से रोक दी जायेगी तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि जुर्माना सहित नियमानुसार वसूल की जायेगी।

10. यह नीति दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगी तथा अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से दिनांक 01.01.1988 से 10.05.1998 की अवधि के दौरान सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार मानदेय राशि प्रदान की जायेगी।

11. जो कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया है वह भी मानदेय का पात्र होगा, बशर्ते कि उस द्वारा अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कम से कम 10 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण की हो।

यह राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वहन होगी:—

"The amount shall be charged/debitable to the major Head "The charges will debitable to the Head "2202-General Education-03-University Higher Education-104- Assistance to Non-Govt. Colleges & Institutes-98-Introduction of Pension Scheme for non Govt. Aided Colleges -09-Grant in Aid (Recurring) 2017-2018".

विभाग के स्तर पर जारी किये गये आदेश क्रमांक के०डबल्यू०1/48-2001 महा०–6 (1) दिनांक 28.07.2017 को रद्द समझा जाये;

वित्त विभाग की सहमति उनके पत्र यू०ओ० 60/25/2017-2 F.D.-II/128828 दिनांक 30.05.2017 यू०ओ० नं०. 20712-2 FD-II/2017 दिनांक 04.07.2017 के अन्तर्गत प्राप्त की गई है ।

ज्योति अरोरा,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 8th February, 2018

No. 1/48-2001 CVI (1).— The Governor of Haryana is pleased for implementation of the Scheme may be called "Pt.Deen Dayal Upadhyaya Honorarium Scheme" for the teaching/non-teaching employees w.e.f 01.04.2017 of the Govt. Aided Colleges retired between 01.01.1988 to 10.05.1998 with the following rates, terms and conditions:-

Sr. No.	Category	Honorarium Rate P.M.
1	Principal	Rs. 30,000/-
2	Lecturers	Rs. 25,000/-
3	Non-Teaching Staff (Class III)	Rs. 11,000/-
4	Non-Teaching Staff (Class IV)	Rs. 6,000/-

This issuance is occurs on the following terms and conditions:-

1. The expenditure will be incurred within existing budget provision on account of honorarium in the shape of pension to the retirees of aided college who retired from 01.01.1988 to 10.05.1998 and they are alive on 01-04-2017.

2. These officials have worked against the sanctioned/aided Posts and retired thereafter.

3. They have fulfilled the conditions of minimum qualifying service of 10 years on sanctioned/ aided post.

4. In case of death of any retiree, the dependents of the retiree will not be entitled for this benefit in any circumstances.

5. The retiree will be entitled only for fixed amount of honorarium which will be given in one lot on monthly basis and no DA and other allowances will be admissible to the retirees on the said amount.

6. Those officer/official who resigned the service during that period w.e.f. 1.1.1988 to 10.5.1998 will not be entitled for honorarium.

7. The amount will be drawn at the level of Head Quarter through the Drawing and Disbursing Officer of the Higher Education Department (Pension Scheme) and will be disbursed to the retirees through management of concerned colleges. Further the management will send the Utilization Certificate at Head Quarter on monthly basis.

8. The honorarium shall be paid till an employee is alive and it shall not be given to his dependents or legal heir.

9. The honorarium will be granted only to those retiree who are not getting any other such type of pension benefits. In case, it is found that he is receiving any other kind of pension then this honorarium will be stopped with immediate effect and recovered back from the receiver with penalty as per rule.

10. This policy shall come into force w.e.f. 01.4.2017.Hence, it is proposed that the employees of Private Aided Colleges Retired between 01.1.1988 to 10.5.1998 may be given honorarium as mentioned above.

11. That the employees who served in an Aided Colleges that was taken over by the State Government shall also be eligible for the Honorarium provided that they had served in Aided Colleges for more than 10 years.

The amount shall be charged/debitable to the major Head **"The charges will debitable to the Head "2202-General Education-03-University Higher Education-104-Assistance to Non-Govt. Colleges & Institutes-98-Introduction of Pension Scheme for non Govt. Aided Colleges -09-Grant in Aid (Recurring) 2017-2018"**.

Order issued *vide* letter No. KW 1/48-2001CVI (1) dated 28.07.2017 is here by cancelled.

The concurrence of the Finance Department have been obtained vide their letter U.O. 60/25/2017-2 F.D.-II/128828 dated 30.05.2017 U.O. No. 20712-2 FD-II/2017 dated 04.07.2017.

JYOTI ARORA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department Haryana, Chandigarh.

55973—C.S.—H.G.P., Chd.